छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(छत्तीसगढ़ शासन का उपकम)

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़–492002
दूरभाष :–0771–2512111, 2512121, फैक्स :– 0771–2512112, 2512122
website: www.cghb.gov.in

//संशोधित आदेश//

कमांक 04
दिनांक 27-01-2023

विषय :– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण के संपदा प्रबंधन शाखा के माध्यम से भवन निर्माण अनापत्ति शुल्क एवं बिल्डिंग परमिशन शुल्क की दरों में संशोधन बाबत् ।

संदर्भः– 72वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 28.12.2022 में लिये गये निर्णय के एजेण्डा कमांक 15 संकल्प कमांक 1987/15/72/12/2022.

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के 72वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 28.12.2022 में लिये गये निर्णय के एजेण्डा कमांक 15 संकल्प कमांक 1987/15/72/12/2022 संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ–विचारोपंरात सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण के संपदा प्रबंधन शाखा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शुल्क की दरों में संशोधन के प्रस्ताव की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

	विवरण	100 वर्ग मीटर के भूखण्ड तक			100 वर्ग मीटर के भूखण्ड तथा अधिक		
		19/01/2007 अनुसार शुल्क	19/09/2022 अनुसार शुल्क	संशोधित दर	19/01/2007 अनुसार शुल्क	19/09/2022 अनुसार शुल्क	संशोधित दर
1.	यदि आबंटी भूखण्ड पर नये सिरे से निर्माण प्रस्तावित है या आबंटी संपत्तिमें अतिरिक्त परिवर्तन प्रस्तावित है या पूर्व के भवन को तोड़कर पुनः निर्माण प्रस्तावित है। (बशर्ते वहाँ एक ही आवासीय इकाई रहे और अतिरिक्त इकाई का निर्माण न किया जाए)	रू.1,000.00	रू.5000.00	रू.3,000.00	रू.2000.00	रू.5,000.00	रू.3,000.00
2.	आबंटी सम्पत्ति में केवल कम्पाऊण्डवाल, गैरेज, पोर्च कार्य प्रस्तावित है तो (अर्थात् जहाँ प्लिंथ क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है)	रू.500.00	रू.5000.00	रू.3,000.00	रू.1,000.00	रू.5,000.00	रू.3,000.00
3.	यदि आवासीय इकाईयों की संख्या बढ़ाई जावे (चाहे अतिरिक्त तल निर्माण से या प्रकोष्ठ निर्माण से)	रू.2000.00 प्रति अतिरिक्त आवासीय इकाई तथा लीज दर में 50 प्रतिशत वृद्धि प्रति इकाई (परिपत्र क.–05 दिनांक 19.01. 2007)	-	रू.2,500.00 प्रति अतिरिक्त आवासीय इकाई तथा लीज दर में 50 प्रतिशत वृद्धि प्रति इकाई	रू.4,000.00 प्रति अतिरिक्त आवासीय इकाई तथा लीज दर में 50 प्रतिशत वृद्धि प्रति इकाई (परिपत्र क.–05 दिनांक 19.01. 2007)	-	रू.3,000.00 प्रति अतिरिक्त आवासीय इकाई तथा लीज दर में 50 प्रतिशत वृद्धि प्रति इकाई

अन्य समस्त अनुशांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया गया।

मंडल के आदेशानुसार

अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर

/क्रमशः.....2/